P<INDKAPADI<<ABDUL<RAWOOF<ISMAIL<<<<<<<< F6575571<9IND5511019M1709160<<<<<<<<

7/09/2007

16/09/2017



ABDUL

RAWOOF

ISMAIL

NOIAN

DINGANI

SANGAMESHWAR

01/1

_ -195 U KAPADI

NO

T

3770 Polsiole

REPUBLIC

OH

INDIA



इसके द्वारा, भारत गणराज्य के राष्ट्रपति के नाम पर, उन सब से जिनका इस बात से सरोकार हो, यह प्रार्थना एवं अपेक्षा की जाती है कि वे वाहक को बिना रोक-टोक, आज़ादी से आने-जाने दें, और उसे हर तरह की ऐसी सहायता और सुरक्षा प्रदान करें जिसकी उसे आवश्यकता हो।

OF THE REPUBLIC OF INDIA ALL THOSE WHOM IT MAY HINDRANCE, AND TO AFFORD HIM OR HER, EVERY ASSISTANCE AND PROTECTION OF WHICH HE OR SHE MAY STAND IN NEED.

> भारत गणराज्य के राष्ट्रपति के आदेश से दिया गया BY ORDER OF THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDIA



assy of India Riyadh

पंजीकरण

विदेशों में रहने वाले मारतीय नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने को निकटतम मारतीय मिशन / चौकी पर पंजीकृत करवा लें।

चेतावनी

यह पासपोर्ट भारत सरकार की सम्पत्ति है। पासपोर्ट अधिकारी से इसं पासपोर्ट के संदर्भ में कोई सूचना मिलने पर जिसमें इसे सुपुर्द करना शामिल है, उसका तुरन्त अनुपालन किया जाए।

यह पासपोर्ट डाक द्वारा किसी भी देश से बाहर न भेजा जाए। यह पासपोर्ट पारक या उसके द्वारा प्रापिकृत-व्यक्ति के कब्बे में ही होना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार के फेरबदल या विकृत नहीं किया जाना चाहिए।

पासपोर्ट गुम जाना, चोरी हो जाना या नण्ट हो जाने पर उसकी रिपोर्ट तत्काल मारत में निकटतम पासपोर्ट अधिकारी को (तथा यदि यारक विदेश में हो) निकटतम मारतीय मिशन को और स्थानीय पुलिस को दी जानी चाहिए। निक्शेषित पूछताछ के पश्चात ही प्रतिपूरक पासपोर्ट जारी किया जाएगा।

REGISTRATION

INDIAN CITIZENS RESIDENT ABROAD ARE ADVISED TO REGISTER THEMSELVES AT THE NEAREST INDIAN MISSION / POST.

CAUTION

THIS PASSPORT IS THE PROPERTY OF THE GOVERNMENT OF INDIA, ANY COMMUNICATION RECEIVED BY HOLDER FROM THE PASSPORT AUTHORITY REGARDING THIS PASSPORT, INCLUDING DEMAND FOR ITS SURRENDER, SHOULD BE COMPLIED WITH IMMEDIATELY.

DEMAND FOR ITS SURRENDER, SHOULD BE CONTINED THAT IMMEDIATELY.

PASSPORT SHOULD NOT BE SENT OUT OF ANY COUNTRY BY POST.

IT SHOULD BE IN THE CUSTODY EITHER OF THE HOLDER OR OF
A PERSON AUTHORISED BY THE HOLDER. IT MUST NOT BE ALTERED OR MUTILATED IN ANY WAY.

LOSS, THEFT OR DESTRUCTION OF PASSPORTS SHOULD BE IMMEDIATELY REPORTED TO THE NEAREST PASSPORT AUTHORITY IN INDIA OR (IF THE HOLDER IS ABROAD) TO THE NEAREST INDIAN MISSION AND TO THE LOCAL POLICE, ONLY AFTER EXHAUSTIVE ENQUIRES SHALL A REPLACEMENT PASSPORT BE ISSUED.

ISMATL WOHAMMAN BENKA FANET - Gal Guardian

KHAIRUNNISSA

SURAT PA

Poddress DINGANI

TAL SANGAMESHWAR

RATNAGIRI DT, M.S.

E7883961 31/05/2004 RIYADH KSA

Place of issue

SAURP4709907 OLD PPT CLD AND RETURNED